

मध्यप्रदेश शासन
सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग
वल्लभ भवन, मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक/एफ03-41/2017/26-2
प्रति,

भोपाल, दिनांक 23/12/2017

1. समस्त कलेक्टर म.प्र.
2. समस्त आयुक्त नगर निगम/मुख्य नगर पालिका अधिकारी म.प्र.
3. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत म.प्र.

विषय- "समाधान एक दिन-तत्काल सेवा" व्यवस्था के अंतर्गत कन्या अभिभावक पेंशन स्वीकृत करने विषयक।

1. सेवा का उद्देश्य- तत्काल सेवा प्रदाय करने के उद्देश्य से एक दिवस में कन्या अभिभावक पेंशन स्वीकृत करने के अंतर्गत विभाग द्वारा प्रदाय किया जा रहा है। योजनान्तर्गत 500/- रु पेंशन प्रतिमाह हितग्राही के खाते में प्रदान की जाती है।

2. पदाभिहित अधिकारी का पद नाम एवं समय सीमा -

जिला कलेक्टर द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, समय सीमा 1 दिवस

3. पात्रता के मापदंड -

- आवेदक/आवेदिका मध्यप्रदेश के मूल निवासी हो।
- दम्पति में से किसी एक की न्यूनतम आयु 60 वर्ष हो।
- दम्पति की मात्र संतान के रूप में सिर्फ पुत्री हो।
- दम्पति आयकरदाता न हो।

4. आवश्यक दस्तावेज एवं परीक्षण की प्रक्रिया-

क्र.	आवश्यक दस्तावेज	परीक्षण की प्रक्रिया
1	आयु प्रमाण पत्र (निम्न में से कोई एक) <ul style="list-style-type: none">• स्कूल का प्रमाणपत्र/अंकसूची• जन्म प्रमाणपत्र• मतदाता सूची• स्वयं का मतदाता परिचय पत्र• मनरेगा जॉब कार्ड• चिकित्सक द्वारा जारी प्रमाणपत्र• उपरोक्त में से कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं होने पर नोटरी/मजिस्ट्रेट द्वारा सत्यापित आयु के संबंध में शपथ पत्र	आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर
2	युगल दम्पति का संयुक्त फोटो/एकल	आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज के आधार

